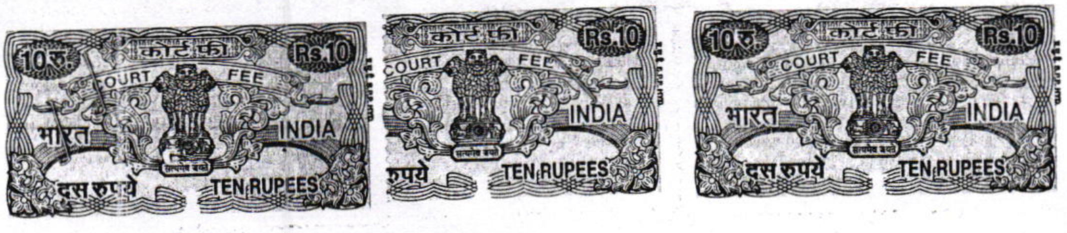

राजस्व निगरानी क्र. : /2017

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/3501

1— **ओमप्रकाश पिता रेवाशंकर पाटीदार**
उम्र 60 वर्ष, धंधा खेती

2— **संतोष पिता रेवाशंकर पाटीदार**
उम्र 52 वर्ष, धंधा खेती
दोनों का निवास — बायपास चौराहा,
राउ, जिला इन्दौर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

लीलाधर पिता बालाराम पाटीदार
उम्र 65 वर्ष, धंधा खेती,
निवासी बडा बाजार, राउ, जिला इन्दौर —— प्रतिप्रार्थी

वाद कब्जे बाबद

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत

माननीय श्री आनंद शर्मा, अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय राजस्व अपील क्र. 446/2096/96 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 (जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी का स्थगन आवेदन धारा 52 म.प्र. भूराजस्व संहिता का निरस्त किया) से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह द्वितीय राजस्व अपील निम्न तथा अन्य आधारों पर योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत की जा रही है—

अपील के आधार

1— यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि विधान तथा प्राकृतिक/नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2— यह कि, विद्वान अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश अतिसंक्षिप्त होकर आधारहीन है तथा प्रार्थी की ओर से लिखित/मौखिक तर्को को दृष्टिओझल करते हुए पारित किया गया होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अविरत....2 पर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/3501

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-4-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री कपिल यादव उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री के0सी0 महंत उपस्थित । उन्हें स्थगन वृद्धि पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में स्थगन नहीं दिये जाने के कारण यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अत: इस निगरानी का अंतिम निराकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह में करें तथा तब तक प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे । अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	